



भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
भारत सरकार / Government of India



2 सितंबर 2021

निर्देश

विषय: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण 1997 की धारा 13 सपठित धारा 11 के अंतर्गत शुल्क की पेशी के संबंध में भादूविप्रा की विनियमों/ निर्देशों/ परामर्शों/आदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को निर्देश

नं. सीसी-5/2(1) /2021-एफएण्डईए-भाग (1): जबकि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, (यहां पर "प्राधिकरण" के रूप में संदर्भित), जिसे भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण, 1997 (1997 का 24) की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत स्थापित किया गया है (यहां पर "भादूविप्रा अधिनियम, 1997" के रूप में संदर्भित) को अन्य कार्यों के साथ साथ दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने, भारत और भारत से बाहर दूरसंचार सेवाओं की दरों को अधिसूचित करने और दूरसंचार क्षेत्र में सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए कुछ कार्य सौंपे गए हैं।

2. और जबकि प्राधिकरण ने, भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 11 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत दूरसंचार शुल्क आदेश, 1999 जारी किया (जिसे यहां "टीटीओ 1999" कहा गया है)

3. और जबकि टीटीओ 1999 का अनुच्छेद 10 अन्य बातों के साथ साथ निम्न का प्रावधान करता है:

"10 गैर-भेदभावपूर्ण: कोई भी सेवा प्रदाता किसी भी प्रकार से एक श्रेणी के ग्राहकों के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा और ग्राहकों का इस प्रकार का वर्गीकरण मनमाने तौर से नहीं होगा:

बशर्ते कि ग्राहकों का प्रत्येक वर्गीकरण स्पष्ट आधार पर होगा और उक्त वर्गीकरण के स्पष्ट आधार का वर्गीकरण के उद्देश्य के साथ तार्किक संबंध होगा"

4. और जबकि मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) की प्रक्रिया के माध्यम से टीएसपी के नेटवर्क में जुड़ने वाले ग्राहकों को विशिष्ट शुल्क देने के संबंध में प्राधिकरण ने पत्र क्रमांक 310-7(41)/2010-इको दिनांकित 27.01.2011 के माध्यम से स्पष्ट किया कि:

"दूसरे सेवा प्रदाता के नेटवर्क से आए ग्राहकों को खास शुल्क की पेशकश एक वैध और तर्कपूर्ण वर्गीकरण नहीं है क्योंकि इस प्रकार के वर्गीकरण के निहित उद्देश्य स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण है और टीटीओ 1999 के अनुच्छेद 10 के प्रावधानों के विरुद्ध है।"

उक्त पत्र के माध्यम से सभी सेवा प्रदाताओं को इस प्रकार के सभी शुल्क यदि वे लागू हो तो वापिस लेने की सलाह भी दी गई थी ;

5. और जबकि हाल ही में प्राधिकरण को दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जहां विरोधी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा पेश किए जा रहे एमएनपी-विशिष्ट शुल्कों के पेशकश का आरोप लगाया गया है। आमतौर पर इस प्रकार की भेदभावपूर्ण एमएनपी-

99
कै. रा. क.

